88

III/निग0/सिंगरौली/भू-रा0/2017/3050

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा,

जिला–रीवा (म0प्र0)

निगरानी प्रकरण क्र0 /2017

रोशन लाल गुप्ता पिता संगम लाल गुप्ता, निवासी ग्राम नौढ़िया, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता

बनाम

1. रमेश लाल गुप्ता तनय विहारी लाल गुप्ता, निवासी ग्राम नौढ़िया, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म0प्र0)
2. मध्य प्रदेश शासन जरिये जिलाध्यक्ष सिंगरौली म0प्र0

.........................गैरनिगरानीकर्तागण

आवेदक रोशन लाल गुप्ता द्वारा स्वतः पेश किया गया। 31-8-17

31-8-17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट रीवा)

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0 विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा प्रकरण क्र0 1224/अपील/2015–16 आदेश दिनांक 30.07.2016 एवं पुर्नविचार प्रकरण क्र0 280/पुर्नविलोकन/2015–16 आदेश दिनांक 05.08.2017

महोदय,

याचिका के संक्षिप्त तथ्य

याचिकाकर्ता के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार तहसील चितरंगी वृत्त दुधमनिया द्वारा राजस्व प्रकरण क्र0 38/अ–68 वर्ष 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 को संहिता की धारा 248 के तहत आ0नं0 649 रकवा 2.70 हे0 के अंश भाग 11x8 वर्गफिट के संबंध में बेदखली का आदेश करते हुये 1,500/–(एक हजार पांच सौ) रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय चितरंगी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो अपील रा0प्र0क्र0 75/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2016 के द्वारा निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पुष्टि कर दी गई, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 26.07.2016 को मान्नीय अपर आयुक्त महोदय रीवा

रोशनलाल गुप्ता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी/सिंगरोली/भू.रा./2017/3050

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6/4/18	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 280/2015–16 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 5–8–17 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक को ग्राह्यता एंव प्रचलनशीलता पर सुना जा चुका है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 5–8–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक द्वारा शासकीय व आम रास्ते की भूमि सर्वे कमांक 649 रकबा 2.70 हैक्टर के ॲश भाग 11x8 वर्गफुट पर दुकान निर्माण करके अतिक्रमण किया गया है। आम–रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण के कारण तहसीलदार चितरंगी ने प्रकरण कमांक 38/13–14 अ 68 में पारित आदेश दिनांक 22–1–17 से आवेदक पर 1500/–रू. अर्थदण्ड अधिरोपित करके बेदखली के आदेश दिये है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई एंव अवुविभागीय अधिकारी चितरंगी ने अपील प्र0क075/15–16 में आवेदक की सुनवाई की है तदुपरांत आदेश दिनांक 7–7–16 पारित करके अपील निरस्त की है। आवेदक ने अबुविभागीय अधिकारी चितरंगी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा द्वारा आवेदक की सुनवाई करके अपील प्रकरण कमांक 1224/15–16 को आदेश दिंक 30–7–16 से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त कर दिया।	

आवेदक ने इस आदेश को पुनरावलोकन में लेने हेतु संहिता की धारा 51 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 280/2015–16 पुनरावलोकन दर्ज करके आवेदक की सुनवाई की है एंव पारित आदेश दि0 5–8–17 से पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 280/2015–16 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 5–8–17 तथा अनुविभागीय अधिकारी चिरतरंगी के प्रकरण कमांक 75/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–7–16 में विवेचित किये गये तथ्यों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि आवेदक ने शासकीय व आम रास्ते की भूमि सर्वे कमांक 649 रकबा 2.70 हैक्टर के ॲश भाग 11x8 वर्गफुट पर दुकान निर्माण करके अतिकमण किया है जिससे आम रास्ते की अर्थात सार्वजनिक हित की भूमि बाधित हुई है जिसके कारण आवेदक किसी प्रकार का अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। तहसीलदार चितरंगी के आदेश दिनांक 22–1–17 में , अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी के आदेश दिनांक 7–7–16 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के पुनरावलोकन आदेश दिनांक 5–8–17 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है फलतः निगरानी में सुनवाई पर्याप्त आधार न होने से इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य